आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :शाहाबाद
वाद संख्या :-RST/6/2013-2014
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201310332268
राणा वेनी माधव डिग्री कालेज सेमौर बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 143, अधिनियम :- उ0प्र0 ज० वि० भू० व्य० अधिनियम,1950

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार कराई गई। प्रार्थिनी अर्पिता सिंह पत्नी वरूण कुमार निवासी
ग्राम बरखेरा द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा–143
उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 दिनांकित 13.12.2013 द्वारा आराजी स्थित ग्राम
सेमौर परगना मन्सूरनगर की गाटा सं0 421/1/0.615, 422/2/0.385है0 पर राणा बेनी
माधव डिग्री कालेज सेमौर प्रबन्धक शैलेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र योगेन्द्र कुमार सिंह निवासी उतरा
परगना शरह दक्षिणी तहसील सदर गैर कृषि प्रयोजन में होने के कारण अकृषिक/व्यवसायिक
घोषित की गयी थी। प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार पण्डरवा द्वारा तहसीलदार
शाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के आधार पर राणा बेनी माधव डिग्री
कालेज सेमौर द्वारा प्रबन्धक शैलेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र योगेन्द्र कुमार सिंह निवासी उतरा के
स्थान पर राणा बेनी माधव महाविद्यालय समिति सेमौर द्वारा प्रबन्धक अर्पिता सिंह पत्नी वरूण
कुमार सिंह निवासी बरखेरा जनपद हरदोई का नाम पूरक पत्र दिनांक 13.03.2020 के
आधार पर अंकित किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं पत्रावली का
अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि शैलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–143
ज0वि0अधि0 प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते समय शैलेन्द्र विक्रम सिंह
राणा बेनी माधव इण्टर कालेज सेमौर द्वारा के प्रबन्धक की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है
जिसके आधार पर भूखण्ड सं0 421/1/0.615, 422/2/0.385है0 न्यायालय द्वारा
अकृषिक/व्यवसायिक घोषित की गयी है तथा खतौनी वर्ष 1425 से 1430फ0 ग्राम सेमौर
के खाता सं0 34 पर अंकित न्यायालय नायब तहसीलदार पण्डरवा द्वारा तहसीलदार
शाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 द्वारा पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक
11.11.2013 में क्रेता राणा बेनी माधव डिग्री कालेज सेमौर द्वारा प्रबन्धक शैलेन्द्र विक्रम सिंह
पुत्र योगेन्द्र कुमार सिंह निवासी उतरा के स्थान पर राणा बेनी माधव महाविद्यालय समिति
सेमौर द्वारा प्रबन्धक अर्पिता सिंह पत्नी वरूण कुमार सिंह निवासी बरखेरा जनपद हरदोई का
नाम पूरक पत्र दिनांक 13.03.2020 के आधार पर अंकित किये जाने का उल्लेख है। अतः
वर्तमान प्रविष्टि के अनुसार गाटा सं0 421/1/0.615, 422/2/0.385है0 पर राणा बेनी
माधव महाविद्यालय समिति सेमौर द्वारा प्रबन्धक अर्पिता सिंह पत्नी वरूण कुमार सिंह
अभिलिखित खातेदार हैं। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र औचित्यपूर्ण है, स्वीकार किया जाता
है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि स्थित आराजी ग्राम सेमौर परगना मन्सूरनगर तहसील
शाहाबाद जनपद हरदोई की खतौनी वर्ष 1425 से 1430फ0 की खाता सं0 34, 648 की
गाटा सं0 421/1/0.615, 422/2/0.385है0 पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.12.2013
में अंकित राणा बेनी माधव डिग्री कालेज सेमौर द्वारा प्रबन्धक शैलेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र योगेन्द्र
कुमार सिंह निवासी उतरा परगना शरह दक्षिणी तहसील सदर हरदोई के स्थान पर राणा बेनी
माधव महाविद्यालय समिति सेमौर द्वारा प्रबन्धक अर्पिता सिंह पत्नी वरूण कुमार सिंह निवासी
बरखेरा जनपद हरदोई का नाम अंकित रहेगा। यह पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 का
अंग व अंश रहेगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो।

उपजिलाधिकारी
शाहाबाद

16-4-22

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की ...
प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र तैयार होने की ...
प्रतिलिपि तैयार करने वाले का नाम ...
हस्ताक्षर ...
हस्ताक्षर वितरित कर्ता ...

अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, हरदोई